

सुरेंद्र / पत्राव

24/12

दिनांक

आज्ञा पत्र

30.6.22

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपील/रेस्पो.उपस्थित
पीठासीन अधिकारी महोदय आज.....
पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक.25.10.22
को पेश हो।

26/10/23

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपील/रेस्पो.उपस्थित
पीठासीन अधिकारी महोदय आज.....
पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक.27/12/23
को पेश हो।

27/12/23

पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक सच न आज
न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व
आज्ञानुसार दिनांक.24.4.24 को पेश हो।

24.4.24

पत्रावली पेश। वकील अपील/रेस्पो.उपस्थित को पूर्व पेशी पर हदायत दों गई थी कि
आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश कए
अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज
कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपील/रेस्पो.उपस्थित के रजिस्टर्ड नोटिस
पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपील/रेस्पो.उपस्थित अपनी अपील के प्रति गम्भीर
नहीं है। फलस्वरूप अपील अपील/रेस्पो.उपस्थित आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज
की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फौजदारी नम्बर
से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

सू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प इन्डन्ट)

वहरीर जारी
3097
15.04.2024

